>

Title: Need to allocate adequate power to Uttar Pradesh from Central Power Projects.

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर) : उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठान, एन.टी.पी.सी. एवं एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा कुल 8,753 मेगावाट क्षमता की परियोजनायें स्थापित हैं लेकिन इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश को केवल 38 प्रतिशत बिजली आवंटित की गयी है। उत्तर प्रदेश द्वारा इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि एवं जल की व्यवस्था उस समय की गयी थी जब एन.टी.पी.सी. ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तथा अन्य राज्यों में भूमि एवं जल की सुविधा एन.टी.पी.सी. को नहीं मिल रही थी। उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी है तथा केन्द्रीय परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश का अंश बढ़ाने के लिए प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जी को कई बार अनुरोध किया गया है लेकिन केन्द्र सरकार केन्द्रीय परियोजनाओं में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिये अभी भी गाडगिल फार्मूले पर टिकी हुई है।

उत्तर प्रदेश द्वारा जनसंख्या के आधार पर बिजली के आवंटन की माँग की जा रही है लेकिन आवंटन के फार्मूले में परिवर्तन न होने के कारण उत्तर प्रदेश को आवश्यकता के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि दिल्ली को आवश्यकता से अधिक बिजली आवंटित है तथा दिल्ली में कार्यरत निजी वितरण कंपनियाँ लगातार अन्य राज्यों को सरप्लस बिजली का ऊँची दरों पर विक्रय कर रही है। उत्तर प्रदेश को भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये इन कंपनियों से बिजली क्रय करनी पड़ रही है।

बिजली एक राष्ट्रीय संसाधन है। अतः इसका आवंटन आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को केन्द्रीय परियोजनाओं से बिजली के आवंटन में उत्तर प्रदेश के प्रति भी वही उदार रवैया अपनाना चाहिए, जो उन्होंने दिल्ली के मामले में अपनाया है। उत्तर प्रदेश को अधिक बिजली आवंटित किये जाने की मांग पूरी तरह जायज है क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश ने अपने बहुमूल्य संसाधन जैसे कि भूमि एवं पानी इन परियोजनाओं के लिये उपलब्ध कराये हैं तथा उत्तर प्रदेश का पर्यावरण भी इन परियोजनाओं से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रहित में दिये गये सहयोग के लिए केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के अनुपात में बिजली का आवंटन करना चाहिए।